

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-07
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: 90A/JDA/2025-26/100384

दिनांक: 05/12/2025

लोक सूचना

श्री LILA RAM SHARMA पुत्र श्री RAMSWAROOP SHARMA जाति SHARMA निवासी 183 ANJANI MARG HANUMAN NAGAR EXT. KHATIPURA JAIPUR

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (हेक्टे.)	रूपांतरण क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	कनकपुरा, जयपुर (जयपुर)	1.) लीलाराम शर्मा पुत्र रामस्वरूप शर्मा हिस्सा पूर्ण जाति ब्राह्मण नि. एच.ई. 183 अंजनी मार्ग हनुमान नगर विस्तार खातीपुरा जयपुर खातेदार	378/363	0.6955	0.6955
कुल					0.6955

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Jaipur Development Authority (JDA) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 05-12-2025 को जारी की गयी।

Newspaper name (as per roster)
DAINIK BHASKAR & SANDHYA JYOTI DARPAN

प्राधिकृत अधिकारी जोन-07
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

